पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4020

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी विभागाध्यक्ष।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 26.3.18

विषय :– एल0पी0ए0 संख्या–258/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.03.2018 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में संवर्गीय प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 (एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015 से उद्भूत) बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त्त के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–4800 दिनांक–01.04.2016 द्वारा बिना आरक्षण एवं परिणामी वरीयता के मूल कोटि की वरीयता के आधार पर दी जा रही थी।

2. इस बीच माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–7603/2016, सुनील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–13.11.2017 को पारित आदेश के द्वारा विभागीय परिपत्र संख्या–4800 दिनांक–01.04.2016 को रद्द कर दिया गया, जिसके आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति का मार्ग अवरूद्ध हो गया। इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष एल0पी0ए0 संख्या–173/2018 दायर किया गया है। साथ ही एक अन्य वाद एल0पी0ए0 संख्या–258/2018, योगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य भी दायर किया गया, जिसमें दिनांक–20.03.2018 को सुनवाई करते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–7603/2016 में दिनांक–13.11.2017 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त एल0पी0ए0 संख्या–173/2018, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुनील कुमार एवं अन्य तथा इससे सम्बद्ध एल0पी0ए0 संख्या–258/2018, योगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–20.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में अवरूद्ध की गई प्रोन्नति की प्रक्रिया एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक को विभागीय परिपत्र संख्या–4800 दिनांक–01.04.2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पुनः आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः अनुरोध है कि राज्याधीन सेवाओं में विभागीय परिपत्र संख्या–4800 दिनांक–01.04.2016 के अनुरूप संवर्गीय प्रोन्नति पुनः आरम्भ करने की कृपा की जाय।

5. *इस अवधि में दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 (एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015 से उद्भूत) बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 संख्या–173/2018, राज्य सरकार बनाम सुनील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।*

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 26/3/18
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4020 **पटना–15, दिनांक–** 26.3.18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव। 26/3/18

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4020 **पटना–15, दिनांक–** 26.3.18

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जनजाति राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव। 26/3/18